

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई0एल0आर0 दुडिया
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार
 2075-78 के खाता स-63 में खातेदार का नाम ताराचन्द पुत्र हीरालाल
 का आधार कार्ड व पटवारी पत्र में खातेदार का नाम ताराचन्द पुत्र
 हीरालाल दर्ज है जो सही है खातेदार के पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र, 27शानकार्ड, व पटवारी पत्र में भी
 हीरालाल दर्ज है एवं गावों के ड्रम खाता नं 196 में खातेदार का नाम ताराचन्द पुत्र हीरालाल दर्ज है जो
 सही है अतः खातेदार का नाम ताराचन्द पुत्र हीरालाल किया जाना रिपोर्ट सेवा में किया है।
 कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

क्रमांक राजस्व/2020/

दिनांक :-

22/10/21

1000
22/10/21
P.H.

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जा रहा है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने को अभिशंका की जाती है /नहीं की जाती है।

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी
तहसीलदार गुढा गौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)

- आदेश :-

दिनांक :- 22/10/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नलिखित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी-सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	दुडिया	2075- 5078	63	तारा चंद पुत्र हीरालाल	तारा चंद पुत्र हीरालाल

नोट :-शेष पृविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
 उदयपुरवाटी (उदयपुरवाटी)

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 283-284

प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 22/10/2021

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया

को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
 उदयपुरवाटी (उदयपुरवाटी)

हीरालाल कदिरामाल

एक ही व्यक्ति है। इनका सम्बन्ध



हीरालाल ही

इन्की